



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2011/भाद्र 15, 1933

No. 185]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2011/BHADRA 15, 1933

केन्द्रीय विद्युत विनियमक आयोग
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2011

सं. एल-1/42/2010-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियमक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) विनियम, 2010 के निम्नलिखित विनियम को संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘पृष्ठ 5 में, विनियम 6 के पर्वत 2 और 3 में, “व्यातिक्रमी इकाई” शब्दों के स्थान पर, “विनियमन इकाई” शब्द रखे जाएंगे।’

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/11/असा.]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र सं. 248, भाग III, खण्ड 4 में तारीख 30-9-2010 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY

COMMISSION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th September, 2011

No. L-1/42/2010-CERC.—The following regulations in Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) Regulations, 2010 shall be corrected as under, namely :—

1. In Page 12, in first line of Regulation 4, the words “casein” shall be substituted by the word “In”.
2. In Page 14, in third line of Regulation 6, the words “Defaulting Entity” shall be substituted by the words “Regulating Entity”.

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT III/4/150/11/Exty.]

Note: The Principal regulations were published on 30-9-2010 in Part III, Section 4 of Gazette of India No. 248.